मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 01] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जनवरी 2014–पौष 13, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

PUBLIC NOTICE

Notice U/s 72, Partnership Act, 1932

Notice is hereby given U/s 63 (1) of the partnership Act that Shri Rajendra Barkalle S/o Devdas Barkalle is retiring from partnership of Bhawani Builders, Indore w.e. from 01-04-2012.

SAROJ BARKALLE,
Partner,
Bhawani Builders,
23, Joy Builders, Indore (M. P.).

(487-B.)

PUBLIC NOTICE

Notice Ups 72, Partnership Act, 1932

Notice Ups 63 (1) Partnership Act is given that Shri Devdas Barkalle S/o Dattatray Barkalle R/o 109, Ravindra Nagar, Indore is admitted as partner in Bhawani Builders, Indore w.e. from 01-04-2012.

SAROJ BARKALLE,
Partner,
Bhawani Builders,
23, Joy Builders, Indore (M. P.).

(488-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. उमिया टाईल्स, गर्रा, बालाघाट, पं. क्र. 00120/09, दिनांक 17–12–2009 के तहत् पंजीकृत फर्म है. उक्त फर्म में दिनांक 01–07–2013 को श्रीमती विमलाबेन पटेल तथा श्री भावेश पटेल द्वारा स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली गई है तथा श्री सिद्धार्थ जैसवाल को उक्त फर्म में साझेदार के रूप में सम्मिलित किया गया है.

संतोष जैसवाल,
साझेदार,
मे. उमिया टाईल्स, गर्रा, बालाघाट (म. प्र.).

(498-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. वैद्य कन्स्ट्रक्शन कंपनी, बालाघाट में दिनांक 27-12-2012 को श्रीमती कंचन वैद्य साझेदार के रूप में सम्मिलित हो रही है तथा दिनांक 04-03-2013 से शिप्रा गुगलिया एवं श्रेयांश वैद्य द्वारा फर्म से सेवानिवृत्ति ली गई है. उक्त जानकारी सर्व-साधारण हेतु प्रकाशित है.

सपना वैद्य,
(साझेदार)
मे. वैद्य कन्स्ट्रक्शन कंपनी,
केसर प्लाजा, सी. एच. रोड,
बालाघाट.

(499-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म साँई इंटरप्राइजेज जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक **ARG**/फर्म/69, दिनांक 13-01-2005 है. इस फर्म से श्री गुरचरण सिंह कुकरेजा पुत्र श्री दयाल सिंह कुकरेजा, निवासी—बी-19, बसंत विहार, लश्कर, ग्वालियर दिनांक 25-10-2012 से रिटायर्ड हो चुके हैं एवं उक्त दिनांक 25-10-2012 से उनके स्थान पर श्री राजकुमार कुकरेजा पुत्र श्री एल.सी. कुकरेजा, श्री रितेश गुप्ता पुत्र श्री महेशचन्द गुप्ता एवं श्री रामकुमार गोयल पुत्र श्री सुभाषचंद गोयल नये पार्टनर होंगे.

राजेन्द्र बच्चानी,
(पार्टनर)
मेसर्स साँई इन्टरप्राईजेज,
अलंकार होटल के पास, हॉस्पिटल रोड,
लश्कर, ग्वालियर (म. प्र.).

(493-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म साँई इंटरप्राइजेज जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक **ARG**/फर्म/69, दिनांक 13-01-2005 है. इस फर्म से श्री सुरेन्द्र सिंह जुनेजा पुत्र स्व. श्री बलबीर सिंह जुनेजा, निवासी—लोहिया बाजार, लश्कर, ग्वालियर दिनांक 12-03-2012 से रिटायर्ड हो चुके हैं. उनके स्थान पर श्री राजेन्द्र बच्चानी पुत्र स्व. श्री परसराम बच्चानी, निवासी सी-22, बसंत विहार, लश्कर, ग्वालियर नये पार्टनर होंगे.

राजेन्द्र बच्चानी,
(पार्टनर)
मेसर्स साँई इन्टरप्राईजेज,
अलंकार होटल के पास, हॉस्पिटल रोड,
लश्कर, ग्वालियर (म. प्र.).

(492-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म सरकार बिल्डिकॉन, स्थित विश्वनाथ धर्मकॉटा के पास, ग्वालियर रोड, भिण्ड में दिनांक 24-12-2013 से भागीदार दुश्यंत सिंह जाट पुत्र श्री सत्येन्द्र सिंह जाट एवं दीपेन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र श्री लाल बहादुर सिंह अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक से नवीन साझेदार उत्कर्ष राणा पुत्र श्री महेन्द्र पाल सिंह राणा फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं तथा दिनांक 24-12-2013 से ही फर्म का स्थान 14/40, दबोह मोड़, ग्वालियर रोड, विश्वनाथ धर्मकॉटा के पास, जिला भिण्ड (म. प्र.) से नवीन स्थान 124, शिवाजी नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर (म. प्र.)पर परिवर्तित किया गया है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

आदित्य राणा,
(पार्टनर),
फर्म-सरकार बिल्डिकॉन,
विश्वनाथ धर्मकॉटा के पास,
ग्वालियर रोड, भिण्ड (म. प्र.).

(497-बी.)

आम सूचना

आम जन को सूचित किया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म मैसर्स श्रीराम एण्ड कंपनी, जवाहर गंज, डबरा में दिनांक 01-04-2013 से भागीदार 1. श्रीमती अनीता शिवहरे पत्नी श्री राकेश शिवहरे, 2. श्री परमाल सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह, 3. श्री विकास सर्वटे पुत्र स्व. श्री पी. एल. सर्वटे, 4. श्री अशोक कुमार शिवहरे पुत्र श्री शिवनारायण शिवहरे, 5. श्री मोहित शिवहरे पुत्र श्री विनोद शिवहरे, 6. श्री राजेश शिवहरे पुत्र श्री पुरुषोत्तम शिवहरे, 7. श्रीमती भावना शिवहरे पत्नी श्री संजीव शिवहरे, 8. श्रीमती सुनीता शिवहरे पत्नी श्री अमित शिवहरे, 9. श्रीमती रानी पत्नी श्री प्रहलाद, 10. श्री विष्णू सागौरिया पुत्र स्व. श्री राधेश्याम अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं.

आम जन एवं खास जन सूचित हों.

हरीबाबू शिवहरे,
(पार्टनर)
फर्म-मैसर्स श्रीराम एण्ड कंपनी,
जवाहर गंज, डबरा,
द्वारा—**विनोद गुप्ता** (एडवोकेट)
लक्ष्मी मार्केट, सुभाष गंज, डबरा.

(500-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती मंजू अग्रवाल पत्नी श्री राजेश अग्रवाल शपथ करती हूँ कि शादी से पहले मेरा नाम कु. मंजुला दीवान था जो कि अब शादी के बाद श्रीमती मंजू अग्रवाल पत्नी श्री राजेश अग्रवाल हो गया है. अतः अब मुझे मेरे नये नाम श्रीमती मंजू अग्रवाल के नाम से ही जाना, पहचाना जावे. समस्त सूचित हों.

पुराना नाम :
(कु. मंजुला दीवान)

नया नाम :
(मंजू अग्रवाल)
पत्नी श्री राजेश अग्रवाल,
पता—एम-245, माधव नगर, ग्वालियर.

(494-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि समस्त कागजात में मेरी पुत्री का नाम कु. कामनी सिंह पुत्री रामनरेश सिंह (संरक्षक) अंकित है. जबकि वास्तव में कु. कामनी पाण्डेय पुत्री श्री इन्द्रमणि पाण्डेय होना चाहिए.

अतः भविष्य में मेरी पुत्री का नाम एवं सरनेम कु. कामनी पाण्डेय पिता श्री इन्द्रमणि पाण्डेय पढ़ा एवं समझा जावे.

(सीता)
निवासी—मकान नं. MIG 66,
वार्ड क्र. 20, थाना कोलगवां,
तह. रघुराजनगर, जिला सतना (म. प्र.).

(495-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित हो कि मुझे पूर्व में वेनुगोपालन पी के नाम से जाना जाता था. अब मेरा पूरा नाम वेनुगोपालन मेनन आत्मज गोपालन नायर पी, निवासी—पी-82, रिषीपुरम-1, बरखेड़ा पठानी, भोपाल हो गया है. अब मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(वेनुगोपालन पी)

नया नाम :
(वेनुगोपालन मेनन)

(486-बी.)

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 11 दिसम्बर, 2013

क्र. 04-02/195/यो.व.रूपां./3383.—यह कि केन्द्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा 67 (2) एवं धारा 176 (2) ङ के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

(डीम्ड ट्रांसमिशन लाईसेंसी) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अति उच्चदाब विद्युत उपकेन्द्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने एवं राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेंद्रों के बीच अति उच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से 132 किलो वोल्ट पारेषण लाइन एवं सम्बन्धित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजना स्वीकृत की है.

इस स्वीकृत पारेषण परियोजना को मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है:—

(1) नाम:—यह परियोजना 132 किलोवोल्ट (के. वी.) लाइन व सम्बन्धित कार्यों के निर्माण की परियोजना कहलायेगी.

(2) परियोजनाओं का विवरण:—परियोजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइन की लम्बाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है:—

(I) 132 केवी पारेषण लाइन :

1. 132 केवी कोटर-रामपुर बघेलान पारेषण लाइन, लम्बाई-7 कि.मी. एवं द्वितीय परिपथ 20 कि.मी. डीसीएसएस लाइन, अनुमानित लागत-498.82 लाख रु.

2. हरदा 132 केवी सबस्टेशन से-खिरकिया 132 केवी सबस्टेशन (प्रस्तावित) तक डीसीएसएस पारेषण लाइन, लम्बाई 37 कि.मी., अनुमानित लागत-1175.48 लाख रु.

(II) कुल अनुमानित लागत : उपरोक्त कार्य की कुल अनुमानित लागत लगभग 1674.30 लाख रु. है.

(3) टावर, खम्भे, तार आदि लगाने का अधिकार :

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम, 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी. विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टावर, खम्भे, तार दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के तहत् भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रख-रखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के सम्बन्ध में प्राप्त हैं.

(4) एतद्द्वारा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं.

के. के. सक्सेना,
मुख्य अभियंता (कारपोरेट अफेयर्स एवं आई टी)
मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,
शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर.

(496-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर, नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013

क्र. / 10539/व. लि.-1/13.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2/1999/1/4, दिनांक 30 मार्च, 1999 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, संजीव सिंह, कलेक्टर, नरसिंहपुर वर्ष 2014 में नरसिंहपुर जिले के लिये

निम्नलिखित तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ—

क्रमांक	दिनांक	दिन	त्यौहार का नाम
1.	21 मार्च, 2014	शुक्रवार	रंगपंचमी
2.	11 अगस्त, 2014	सोमवार	कजलियां
3.	24 अक्टूबर, 2014	शुक्रवार	गोवर्धन पूजा (दीपावली का दूसरा दिन)

उक्त अवकाश कोषालय/उप-कोषालय पर लागू नहीं होगा.

संजीव सिंह,
कलेक्टर.

(755)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास अनुभाग, सीहोर

प्र. क्र. 04/बी-113 (1)/11-12.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5 (1) द्वारा]

श्री सूरज प्रसाद, अध्यक्ष, जगदीश मंदिर, गरीबदास,
उर्फ टाट बाबा पंवार (परमार) क्षत्रिय समाज ट्रस्ट, छावनी, सीहोर .....आवेदक

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
2. सर्व-साधारण .....अनावेदकगण

उद्घोषणा-पत्र

चूंकि श्री सूरज प्रसाद पंवार, अध्यक्ष, जगदीश मंदिर, गरीबदास उर्फ टाट बाबा पंवार (परमार) क्षत्रिय समाज ट्रस्ट, छावनी, सीहोर द्वारा तीन ट्रस्टीगण की मृत्यु हो जाने के कारण मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा-25 के अंतर्गत निम्नानुसार तीन व्यक्तियों के नाम सदस्यों के रूप में जोड़े जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.—

1. श्री रूकमणी रोहिला पुत्री स्व. श्री अमरचंद रोहिला, निवासी खजांची लाईन, सीहोर.
2. श्री चंदरसिंह आ. बाबूलाल परमार निवासी ग्राम बड़नगर, तहसील सीहोर.
3. श्री सुरेश कुमार परमार आ. लाडसिंह परमार, निवासी पल्टन एरिया, सीहोर.

अतः एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि उक्त व्यक्तियों के नाम ट्रस्टीगण के रूप में जोड़े जाने के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा आक्षेप हो तो वह अपनी आपत्ति मेरे न्यायालय में दिनांक 22 नवम्बर, 2012 तक न्यायालयीन समय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं. म्याद पश्चात् प्राप्त आपत्तियों अथवा आक्षेपों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा.

आज दिनांक 07 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

हृदयेश कुमार श्रीवास्तव,
पंजीयक.

(767)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय समापक सागर साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन

दिनांक 02 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा- 57 (ग) के अन्तर्गत]

सागर साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक/डीआर/62, दिनांक 02 फरवरी, 2005 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक 142, दिनांक 10 फरवरी, 2009 से विघटन हेतु समापक नियुक्त

किया गया था एवं संशोधित आदेश क्रमांक/परि./1516, दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को मुझे समापक नियुक्त किया गया है. चूंकि संस्था स्वायत्त अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत पंजीकृत है लेकिन मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2013 से उक्त अधिनियम का निरसन होने से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 में पंजीकृत माना गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(769)

कार्यालय श्री योग इन्वेटर क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड, खरगोन

दिनांक 02 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा- 57 (ग) के अन्तर्गत]

श्री योग इन्वेटर क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड, खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक/डीआर/75, दिनांक 07 जून, 2005 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक 145, दिनांक 10 फरवरी, 2009 से विघटन हेतु समापक नियुक्त किया गया था एवं संशोधित आदेश क्रमांक/परि./1516, दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को मुझे समापक नियुक्त किया गया है. चूंकि संस्था स्वायत्त अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत पंजीकृत है लेकिन मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2013 से उक्त अधिनियम का निरसन होने से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 में पंजीकृत माना गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(769-A)

कार्यालय समापक श्री वैष्णवी साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन

दिनांक 02 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा- 57 (ग) के अन्तर्गत]

श्री वैष्णवी साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक/डीआर/123, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक परि./1518, दिनांक 19 नवम्बर, 2013 से मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. चूंकि संस्था स्वायत्त अधिनियम, 199 के अन्तर्गत पंजीकृत है लेकिन मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2013 से उक्त अधिनियम का निरसन होने से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 में पंजीकृत माना गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

नवीन मुहावरे,
सहकारी निरीक्षक एवं समापक.

(769-B)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 01] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 03 जनवरी 2014-पौष 13, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 11 सितम्बर, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील पोरसा (मुरैना), निवाड़ी (टीकमगढ़), शाहनगर (पन्ना), सागर, राहतगढ़ (सागर), जेतहरी, अनूपपुर, कोतमा पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बदनावर, सरदारपुर, धार, कुक्षी, डही (धार), बुरहानपुर, नेपानगर (बुरहानपुर), सारंगपुर (राजगढ़), उदयपुरा (रायसेन), भैंसदेही, मुलताई, आढनेर (बैतूल), पिपरिया (होशंगाबाद), जबलपुर, कुण्डम (जबलपुर), विजयराघवगढ़, बडवारा (कटनी), बिछिया, घुघरी (मण्डला), लखनादौन (सिवनी), बालाघाट, लांजी, वारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील धुन्धडका (मंदसौर), सोण्डवा (अलीराजपुर), खकनार (बुरहानपुर), शाहपुर (बैतूल), नैनपुर (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील बांधवगढ़, मानपुर (उमरिया), बैहर, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील जोवट (अलीराजपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली में जुताई व रीवा में रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—जिला रायसेन में अधिक वर्षा होने से फसलों को 30 प्रतिशत की क्षति हुई है.

5. **कटाई.**—जिला मंदसौर में फसल सोयाबीन की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, शहडोल, अनूपपुर, झाबुआ में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 11 सितम्बर, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	20.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) गन्ना, कपास. मूँगफली, ज्वार, बाजरा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		तिल, धान, सोयाबीन, उड़द,मूँग,	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		तुअर समान.		
			(2) . .		
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		तिल अधिक. उड़द कम.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुंगावली	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक. उड़द, मक्का, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढोरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) सोयाबीन, ज्वार, मक्का समान.	6. संतोषप्रद.	8. . .
2. राघौगढ़	. .		(2) . .	. .	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	14.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल, मूंगफली, गन्ना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) ज्वार, अरहर अधिक. तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) मक्का , तुअर, सोयाबीन अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूँग, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	1.0				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	3.2				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	5.0				
9. केसली	. .				
10. शाहगढ़	. .				
11. मालथोन	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल, सोयाबीन, उड़द, मूँग सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) धान, सोयाबीन, उड़द, मूँग, मक्का, तुअर अधिक. कोदों-कुटकी, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) अरहर, धान, ज्वार, सोयाबीन, मूँग, उड़द, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) मक्का, बाजरा, उड़द, अरहर सोयाबीन.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
5. बुढार	. .				
6. गोहपारू	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	1.6		4. (1) मक्का, धान अधिक. कोदों, सोयाबीन,उड़द, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	0.6		(2) . .		
3. कोतमा	3.8				
4. पुष्पराजगढ़	11.1				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	35.5		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, रामतिल अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	35.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला सीधी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिंहावल	. .		(2) . .		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) धान, तुअर, मक्का अधिक. कोदो,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		ज्वार, मूँग, उड़द समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासरा–टप्पा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		मूँगफली, तुअर समान.	. .	
3. मल्हारगढ़	. .		(2) . .		
4. गरोठ	. .				
5. शामगढ़	. .				
6. मन्दसौर	. .				
7. संजीत	. .				
8. सीतामऊ	. .				
9. धुन्धड़का	31.0				
10. कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, तिल अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		मूँगफली कम. उड़द तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .		(2) . .		
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
***जिला उज्जैन :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) तुवर, उड़द, मूँगमोठ, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		कपास, मूँगफली कम.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) सोयाबीन, मूँगफली, तुअर, धान	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		अधिक. मक्का, कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. झाबुआ	. .				
5. भामरा	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. जोबट	60.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भामरा	. .				
4. सोण्डवा	32.0				
5. कट्टीवाड़ा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	4.5		4. (1) सोयाबीन, कपास , मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	2.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	3.9				
4. कुक्षी	7.5				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	4.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		मूँगफली, तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगौन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
***जिला पूर्व निमाड़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	14.0		4. (1) कपास, मूँगफली, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	20.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	3.0				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		गन्ना, ज्वार, तुअर कम. मक्का समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	15.0				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	. .	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		मूँगफली, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. अधिक वर्षा होने से फसलों को 30% क्षति हुई है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, उड़द, सन, गन्ना.	6. संतोषप्रद, . .	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .				
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .		(2) . .		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. उदयपुरा	5.0				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	11.2		4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	21.0				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	2.0				
7. आठनेर	16.6				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) गन्ना, तिल, मूंगफली , मूँगमोठ, उड़द समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .			चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	1.4				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
***जिला हरदा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) धान, उड़द, सोयाबीन, तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	10.9				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	11.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) धान, मक्का, तिल, सोयाबीन, राहर, कोदो, उड़द समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .			चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	6.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				
7. बड़वारा	5.0				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) धान, मक्का, कोदो, तुअर, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	9.8		सन सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	2.7		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	1.8				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) धान,मक्का, सोयाबीन, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		राहर, कोदो-कुटकी, तिल,	चारा पर्याप्त.	
			जगनी.		
			(2) . .		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, मक्का, तुअर, तिल, रामतिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		गन्ना अधिक. ज्वार, बाजरा,	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	8.0		कोदों-कुटकी, उड़द, सोयाबीन,		
4. बरघाट	. .		सन, मूँग, मूँगफली समान.		
5. कुरई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
6. घंसौर	. .				
7. धनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	15.7		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	0.5		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	40.0				
4. वारासिवनी	16.6				
5. कटंगी	49.6				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला सीधी, उज्जैन, बड़वानी, पूर्व-निवाड़, हरदा, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(754)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.